

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक- 23/1712-~~8~~-वि०-1(1) दिनांक चण्डीगढ़ 17-09-2002

मानव संस्कार पब्लिक स्कूल, धीरज नगर फरीदाबाद
को दसवीं स्तर तक की स्थायी मान्यता दिनांक 1.4.2001 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 विद्यालय के प्रवन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलाएंगे और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 2 विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा।
- 3 विद्यालय हरियाणा बोर्ड की धारा- 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
- 4 विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो भी नियम बनेंगे उनकी विद्यालय पालना करेगा।
- 5 अध्यापकों को वेतन मास चैक द्वारा दिया जाये।
- 6 नियुक्ति ने आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाये।
- 7 विद्यालय शेष 15475/- रुपये राशि के रूप में एक मास के अन्दर-2 जमा करवाएगा।

एच० सी० शर्मा
संयुक्त निदेशक (विद्यालय)
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।

मुष्ठाकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 17-09-2002

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके क्रमांक 6-1/02 दिनांक 03-09-02 के सन्दर्भ में।
- 2 सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।
- 3 मुख्याध्यापक मानव संस्कार पब्लिक स्कूल धीरज नगर फरीदाबाद

अधीक्षक शिक्षा-1

कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा

चण्डीगढ़